स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

विश्व एड्स दिवस

Posted On: 22 DEC 2017 5:42PM by PIB Delhi

इस वर्ष 1 दिसम्बर, 2017 को विश्व एड्स दिवस का आयोजन किया गया था। इस वर्ष का विषय था 'राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के 25 वर्ष' एचआईवी/एड्स एवं यौन संबंधों द्वारा संचारित संक्रमण (एसटीआई), 2017-24 के बारे में राष्ट्रीय कार्यनीति योजना जारी की गई थी। एचआईवी से पीडित उन व्यक्तियों, जिन्होंने एंटी रिट्रोवायरल उपचार (एआरटी) प्रारंभ करने के पश्चात उपचार छोड़ दिया है, को वापस लाने के लिए 'मिशन संपर्क' भी प्रारंभ किया गया था।

इसका उद्देश्य एचआईवी एवं सिफलिस को माता से बच्चे में होने वाले संचारण को रोकने के साथ-साथ एचआईवी/एड्स संबंधी लगने वाले लांछन तथा भेदभाव को 2020 तक रोकने का लक्ष्य है। नए संक्रमणों की रोकथाम पर, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) का उद्देश्य नए एचआईवी संक्रमणों में 2024 तक 2010 की आधार रेखा आंकड़ों में 80 प्रतिशत की कमी लाना है। इसके अलावा, 2024 तक, यह सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य है कि देश में 95 प्रतिशत उन व्यक्तियों, जिन्हें एचआईवी पॉजिटिव होने के बारे में जानकारी हैं, 95 प्रतिशत उन व्यक्तियों, जिन्हें उनका उपचार किए जाने की जानकारी है तथा 95 प्रतिशत व्यक्तियों को उपचार के दौरान कई बार वॉयरल हुआ।

निधियों, औषधियों तथा एनएसीपी के लिए उपयोग में आने वाली जांच किटों की कोई कमी नहीं है। फिर भी, कभी-कभी कुछ जगहों से औषधियों एवं जांच किटों की कमी होने की जानकारी मिलती है तथा आपूर्तियों को अन्य स्थानों से लेकर इस कमी को तुरंत ही दूर कर दिया जाता है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम तीन स्तम्भ –निवारण, परिचर्या काउंसलिंग तथा उपचार पर आधारित है। उच्च जोखिम समूहों (एचआरजी) तथा असुरक्षित यौन संबंध रखने वाली आबादी के लिए निवारण कार्यक्रम को लिक्षत कार्यकलापों तथा कंडोमों/नीडल सीरिंजों, ओपिओइड प्रतिस्थापन उपचार, एसटीआई के लिए एचआईवीजांच एवं स्वास्थ्य जांच जैसी विभिन्न स्विधाओं की संबद्धता, सिहत सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

एचआईवी (पीएलएचआईवी) से पीडित सभी व्यक्तियों को 537 एआरटी केन्द्रों एवं 1108 लिंक एआरटी केन्द्रों के माध्यम से नि:शुल्क काउंसिलिंग एवं उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

एचआईवी/एड्स संक्रमित व्यक्तियों की राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित संख्या

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2014	2015	2016	2017
आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	4,00,876	3,94,661	3,88,625	3,83,171
अरुणाचल प्रदेश	599	606	611	619
असम	11,417	12,090	12,599	13,054
बिहार	1,50,026	1,50,689	1,51,076	1,51,656
छत्तीसगढ़	29,937	30,838	31,703	32,627
दिल्ली	28,652	30,216	31,558	32,874
गोवा	4594	4619	4651	4688
गुजरात	1,62,245	1,66,333	1,69,945	1,73,817
हिमाचल प्रदेश	5655	5723	5761	5813
हरियाणा	21,826	22,596	23,172	23,678
झारखंड	33,835	34,386	34,715	34,877
जम्मू और कश्मीर	2,752	2,777	2,777	2774
कर्नाटक	2,02,622	1,99,060	1,95,304	1,91,738
केरल	23,758	23,376	22,962	22,648
मेघालय	1,108	1,122	1,117	1,103
महाराष्ट्र	3,06,927	3,01,453	2,95,281	2,89,572

मणिपुर	25,397	24,457	23,598	22,881
मध्य प्रदेश	44,246	44,409	44,427	44,651
मिजोरम	5670	5762	5832	5898
नगालैंड	11,052	11,050	11,016	11,012
ओडिशा	68,750	67,654	66,539	65,602
पंजाब	35,495	36,794	37,618	38,282
राजस्थान	1,01,361	1,03,148	1,04,733	1,06,016
सिक्किम	837	939	1,056	1,189
तमिलनाडु	1,44,168	1,42,982	1,41,685	1,40,658
त्रिपुरा	6564	7238	8087	9038
उत्तराखंड	6871	7059	7191	7315
उत्तर प्रदेश	1,46,419	1,50,361	1,53,673	1,57,493
पश्चिम बंगाल	1,31,207	1,28,757	1,26,778	1,25,446
अंडमान एवं निकोबार	193	186	180	175
चंडीगढ़	2,643	2,933	3,309	3743
दादरा और नगर	406	463	527	601
दमन और दीव	247	284	326	375
पुडुचेरी	1526	1,560	1589	1,622
भारत	21,19,881	21,16,581	21,10,021	21,06,706

तालिका-2 एचआईवी/एड्स संबंधी मौतों की राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

	एचआईवी/एड्स संबंधित मौतें			
	2014- 15	2015- 16	2016- 17	2017-18 (अक्टूबर -2017तक)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह				1
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	8374	14,798	12173	6429
अरुणाचल प्रदेश	12	5	3	4
असम	161	134	178	101

बिहार	1262	1288	1483	1050
चंडीगढ़	62	181	139	122
छत्तीसगढ़	440	403	375	255
दिल्ली	592	673	557	421
गोवा	76	103	96	74
गुजरात	2305	2627	2640	1649
हरियाणा	264	407	827	490
हिमाचल प्रदेश	159	142	137	67
जम्मू और कश्मीर	40	65	87	56
झारखंड	364	293	446	279
कर्नाटक	7339	6889	7741	4803
केरल	399	269	291	201
मध्य प्रदेश	1003	1019	1085	663
महाराष्ट्र	6896	7332	6826	5585
मणिपुर	292	431	258	492
मेघालय	42	54	49	40
मिजोरम	118	122	147	198
मुंबई	656	767	1421	545
नगालैंड	233	189	185	209
ओडिशा	621	540	813	465
पांडिचेरी	40	42	47	42
पंजाब	788	896	1022	540
राजस्थान	1630	1620	1708	1044
सिक्किम	6	8	6	5
तमिलनाडु	4407	4437	4536	2375
त्रिपुरा	45	48	41	27
उत्तर प्रदेश	2442	2721	3066	2478
उत्तराखंड	153	143	150	93
पश्चिम बंगाल	735	947	1097	650

कुल 41,956 49,593 49,630 31,453

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल के द्वारा लोकसभा में दिया गया लिखित उत्तर ।

MV/LK

(Release ID: 1513859) Visitor Counter : 209

in